न्यायधीस श्री एस.एस.सिद्धू जी के समक्ष

कपूर सिंह पुत्र निधान सिंह , याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

आपराधिक विविध संख्या 3950-एम, 1974 जनवरी 17,1975

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम संख्या II) धारा 167(2),209(बी) और 437(5) परंतुक (ए) के तहत एक आरोपी को जमानत दी गई

सेशन-मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराध से संबंधित एक मामले में धारा (167)2 में, ऐसे अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए

सत्र न्यायालय को जमानत रद्द करने और आरोपी को हिरासत में भेजने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं

यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 209 (बी) और धारा का सामूहिक वाचन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437(5) से पता चलता है कि

मजिस्ट्रेट के पास आरोपी की जमानत रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है जो वह कर सकता है

उन्हें गैर जमानती अपराध के एक मामले में जमानत मिल गई है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

धारा 167 के प्रावधानों के तहत और उसे हिरासत में भेज दिया जाएगा। और मामले को कमिट करते समय मुकदमे के समापन तक

उसके विरुद्ध सत्र न्यायालय में जाएँ, बशर्ते वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो। संहिता की धारा 437 की उपधारा (5) मजिस्ट्रेट को भी अधिकार देती है, जिसने आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है।

उसका चालान नहीं होने के कारण धारा 167

उसकी गिरफ्तारी के साठ दिनों के भीतर अदालत में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देने के लिए

उसे गैर-जमानती अपराधों के सभी मामलों में हिरासत में भेज दें

यहां तक कि उसकी अपनी अदालत में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते वह इस पर विचार करे

किसी भी आगामी चरण में ऐसा करना आवश्यक है। इसलिए एक मजिस्ट्रेट के पास है

किसी आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अधिकार क्षेत्र

संहिता की धारा 167 के तहत जमानत दे दी गई और उसे एक मामले की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में सौंपते हुए हिरासत में भेज दिया गया।

अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत आवेदक प्रार्थना कर रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,307/148/149 और 25/27, 54/59 शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में उनके मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए। 20 नवंबर 1974 को श्री आर.एल लांबा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा जमानत आवेदन पत्र संख्या 270/1974 को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के लिए एच.एल. सिब्बल वरिष्ठ वकील, एस.सी. सिब्बल वकील के साथ

प्रतिवादियों की ओर से नरिंदर नाथ, सहायक जिला अटॉर्नी हरियाणा।

निधान सिंह का पुत्र, आदि बनाम हरियाणा राज्य

माननीय न्यायधीश सिद्धू जी

आदेश

कपूर सिंह, हजूरा सिंह, लाल सिंह और मगहर सिंह पर आरोप लगाया गया है, जो कुछ अन्य सह-आरोपियों के साथ हैं उनके मुकदमे के लिए सत्र न्यायाधीश की अदालत में हिरासत में सौंप दिया गया धारा 302, 307, 148 के साथ धारा 149, भारतीय दंड के तहत संहिता एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत पेश किया है इस न्यायालय में यह जमानत आवेदन.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

संक्षेप में, इस आवेदन को जन्म देने वाले मामले के तथ्य हैं जैसा कि आवश्यक था, सभी चार याचिकाकर्ताओं को जमानत की अनुमति दी गई धारा की उपधारा (2) का परंतुक। 167, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के खिलाफ मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की गई उन्हें पूरा नहीं किया जा सका और उनके खिलाफ कोई चालान नहीं डाला गया तारीखों से साठ दिन की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा न्यायालय उनकी गिरफ़्तारी के. हालांकि, इसके बाद उनके खिलाफ चालान कर दिया गया। पुलिस द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में रखा जाएगा। विद्वान मजिस्ट्रेट ने चालान कागजातों का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराध विशेष रूप से विचारणीय थे- धारा 209 के तहत, वह सत्र न्यायालय को दोषी ठहराएगा और तदनुसार, वह (ए) और (बी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, में उन्हें प्रतिबद्ध किया गया उपरोक्त के मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को हिरासत अपराध. याचिकाकर्ताओं ने पहले जमानत याचिका दायर की थी विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार, जिनके पास मामला था विचारण हेतु विद्वान सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा नियुक्त किया गया। वह, पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया आदेश दिनांक 20 नवंबर 1974.

याचिकाकर्ताओं ने उन्हें जमानत दिये जाने की प्रार्थना की है उनके आवेदन में दो आधारों पर। सबसे पहले तो यह कि प्रथम दृष्टया अभियोजन का मामला झूठा लगता है। दूसरी बात यह कि जो विद्वान हैमजिस्ट्रेट के पास याचिकाकर्ताओं की जमानत रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था उन्हें हिरासत में लेकर अंतर्देशीय न्यायालय में भेज दिया गया परीक्षण के लिए सत्र.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

सभी चार याचिकाकर्ता कथित तौर पर आग्नेयास्त्रों से लैस थे और उन्होंने घटना के समय कथित तौर पर उनका इस्तेमाल किया था। जैसा याचिकाकर्ताओं के हाथों चोटें लगने के परिणामस्वरूप और उनके सहअभियुक्त निरंजन सिंह की मृत्यु हो गई थी। एक आत्मा राम का भी था छर्रों से मारा गया. मामले के सभी तथ्यों को देखने के बाद विचार करने पर, इसका शायद ही कोई औचित्य प्रतीत होता है जमानत की अनुमति lo (वह याचिकाकर्ताओं, विशेष रूप से, जब के रूप में राज्य के विद्वान वकील द्वारा बार में पहले ही कहा जा चुका है ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच के लिए 18 जनवरी 1974 की तारीख तय की गई थी इसके बाद इसे परीक्षण के लिए तय किए जाने की संभावना है। यहां तक कि विद्वान वकील भी

क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने केवल आधे-अधूरे मन से पहले आधार पर जोर दिया हैहालाँकि, उन्होंने दूसरे आधार पर अधिक जोर देते हुए तर्क दिया है ईडी ने कहा कि एक बार विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी थी।

धारा 167, क्रिमिनल प्रॉक्टर कोड के तहत, उसके पास नं इसे रद्द करने और उन्हें हिरासत में भेजने का अधिकार क्षेत्र उन्हें सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंपना। मैंने इस संबंध में राज्य के विद्वान वकील को भी सुना है।

धारा 167(2), परंतुक (ए) सहित, आपराधिक प्रक्रिया

कोड, 1973, इस प्रकार है: -

(167)(1).....

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(2) वह मजिस्ट्रेट जिसके पास आरोपी व्यक्ति को भेजा जाता है इस धारा के अंतर्गत, चाहे उसके पास हो या न हो मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र, समय-समय पर अभियुक्त को ऐसी हिरासत में हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए उचित समझता है और यदि उसके पास मामले की सुनवाई करने या इसे परीक्षण के लिए सौंपने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और आगे की हिरासत को अनावश्यक मानते हुए वह आदेश दे सकता है आरोपी को ऐसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा।

उसे उपलब्ध कराया-

(ए) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वह आरोपी व्यक्ति को पुलिस की हिरासत के अलावा पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। साठ दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए और साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है; और इस धारा के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उस अध्याय के प्रयोजन के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा किया गया माना जाएगा।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा

धारा 167, दण्ड प्रक्रिया संहिता, ऐसी मानी जायेगी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत जारी किया गया उस अध्याय का. धारा 437 अध्याय XXXIII, आपराधिक में आती है प्रक्रिया संहिता. धारा 437 की उपधारा (1) एवं (2), फौजदारी

प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि किस मामले में जमानत कब ली जा सकती है गैर जमानती अपराध. अत: इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर कर ली गयी

धारा 167, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाकर्ताओं पर मामला, उपरोक्त प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई मानी जाएगी

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 का. धारा की उपधारा (5).

437, दंड प्रक्रिया संहिता, बताती है

“437. (1)* * *

निम्नानुसार:-

» *

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(2)* * *

❖*

(3)

¥ *

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(4)* * *

ए ए

कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया हो

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत, हो सकता है,

यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो ऐसा करने का निर्देश दे

व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में भेजा जाए। उस प्रावधान के मद्देनजर मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है और उन्हें हिरासत में भी भेज सकता है, बशर्ते कि उसने ऐसा करना आवश्यक समझा हो, धारा 209 (ए) और (बी) आपराधिक प्रक्रिया संहिता बताती है कि कब और कैसे

मामला सत्र न्यायालय को सौंपा जाना है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है - 209- जब किसी पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले में अन्यथा आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से विचारणीय है सत्र न्यायालय द्वारा, वह (ए)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देगा। (बी) जमानत से संबंधित इस कोड के प्रावधान के अधीन, अभियुक्त को मुकदमे के दौरान और उसके समापन तक हिरासत में भेज दिया जाएगा।

धारा 209 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार दण्ड

प्रक्रिया संहिता, मजिस्ट्रेट को मामला सौंपते समय

सत्र न्यायालय के पास आरोपी को हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

परीक्षण के दौरान और उसके समापन तक, लेकिन, निश्चित रूप से, वह

विकल्प का प्रयोग जमानत से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया अदालत के प्रावधान के अधीन किया जाना है। वर्तमान मामले में चूंकि याचिकाकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जो कि बहुत गंभीर प्रकृति का गैर जमानती अपराध था, विद्वान मजिस्ट्रेट धारा 209 के तहत पूरी तरह से उचित था। बी) धारा 437(5) आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के साथ पढ़ें ताकि उन्हें उन अपराधों के लिए सत्र न्यायालय में हिरासत में भेजा जा सके जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे। धारा 209(बी) और धारा 437 का सामूहिक वाचन (5) आपराधिक प्रक्रिया संहिता यह दर्शाएगी कि मजिस्ट्रेट के पास उस आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसने धारा 167, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत गैर जमानती कार्यालय के मामले में जमानत की अनुमति दी हो और उसे हिरासत में भेज दिया हो। और उसके खिलाफ मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मुकदमे के समापन तक, बशर्ते कि उसने ऐसा करना आवश्यक समझा हो, यहां यह भी बताया जा सकता है कि धारा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

437 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की उपधारा (5) उस मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है जो एक आरोपी को जमानत दे दी,

प्रताप सिंह कादियान बनाम द स्टोल ओइ पंजाब, आदि (संधा वालिया, जे)

धारा 167, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत व्यक्ति, उसके कारण

गिरफ्तारी के साठ दिन के भीतर चालान न्यायालय में नहीं पेश किया जाना,

उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देने और उसे सभी मामलों में हिरासत में भेजने का निर्देश दिया

गैर-जमानती अपराध, जिसकी सुनवाई उसके अपने न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है,

बशर्ते वह किसी भी आगामी चरण में ऐसा करना आवश्यक समझे

मान लीजिए ऐसा कोई आरोपी व्यक्ति जमानत की रियायत का दुरुपयोग करता है-

मजिस्ट्रेट द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसकी जमानत रद्द करने और उस कारण से उसे हिरासत में देने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा (5) के अंतर्गत, क्योंकि

आरोपी व्यक्ति को धारा 167 आपराधिक के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

प्रक्रिया संहिता, को अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत जारी किया गया माना जाएगा जिसमें उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए धारा 437, आपराधिक प्रक्रिया संहिता शामिल है। इस प्रकार, मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क को खारिज कर दूंगा कि इस मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट के पास जमानत रद्द करने और उन्हें हिरासत में भेजने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जबकि उन्हें दोषी ठहराया गया था।

उनके मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय।

ऊपर दिए गए कारणों से. 1 स्वीकृति के लिए कोई आधार नहीं मिला

इस जमानत आवेदन और जमानत के बारे में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है।

अस्वीकार कर दिया गया है.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा